

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

सं० :-2/अ०प्र०-1-56/2020

12

/पटना, दिनांक :- 3-1-22

श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, शेखपुरा के विरुद्ध शेखपुरा जिलान्तर्गत वाजिदपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी वास्तविक सरकारी जमीन पर न कराकर रैयती जमीन पर कराने से संबंधित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-3445 दिनांक 17.11.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित की गयी।

श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, शेखपुरा दिनांक-30.06.2021 को कार्यपालक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतएव श्री शर्मा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत सम्पुर्णवर्तित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

lu
30.12.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-56/2020

12

/पटना, दिनांक :- 3-1-22

प्रतिलिपि :-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6/विभागीय आई०टी० मैनेजर एवं श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, फ्लैट सं०-302, सरस्वती-2, जलालपुर सिटी, राम जयपाल पथ, डाकघर-दानापुर, थाना-रूपसपुर, जिला-पटना, पिन-801503, मो० नं०-9431058427 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

lu
30.12.21

उप सचिव